आदेश की क्रम संख्या और तारिख	न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह वाद सं0–473/2022 वसी अहमद वगै0 **बनाम** अहमद मल्लिक वगै0 (धारा 144 दं0प्र0सं0) **आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
21.10.2022	थाना प्रभारी, गाण्डेय थाना से प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 06/2022 के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं0प्र0सं0 की धारा 144(i) के अर्न्तगत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई :– **भूमि विवरणी** :– मौजा–दलवाडीह, थाना–गाण्डेय, जिला–गिरिडीह के अर्न्तगत खाता नं0 14 प्लॉट नं0 72 रकवा 2.76 एकड़ के मध्ये 1.38 एकड़ तथा चौहदी–उ0–जंगल–झाड़ी, द0–रोड़ कच्ची सड़क, पू0–दुखन शेख का जमीन, प0–मादो शेख का परती जमीन। उभय पक्ष द्वारा अपना–अपना कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष का दावा है कि कि प्लॉट नं0 72 के अर्न्तगत 95 डी0 जमीन बजरिए निबंधित केवाल के दिनांक 16.01.2002 को प्रथम पक्ष ने जमीन के असली मालिक एतवारी सिंह से क्रय किया एवं दखलकार हुआ। इनके नाम से दाखिल–खारिज के उपरान्त ये सरकार को लगान का भुगतान कर सरकारी लगान रसीद हासिल किए। प्रथम पक्ष का आगे दावा है कि द्वितीय पक्ष के भेण्डर को प्लॉट नं0 72 की जमींन बेचने का अधिकार नहीं था। चूँकि उनके हिस्से में अन्य जमीन प्राप्त है। एतवारी सिंह ने विवादित प्लॉट के अर्न्तगत अन्य जमीन अन्य क्रेताओं के साथ बिक्री किया है, जिसपर ये दखलकार है। द्वितीय पक्ष का केवाला जाली एवं बनावटी है एवं प्रथम पक्ष की जमीन को अवैध रूप से दावा कर रहें है। दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्लॉट नं0 72 के अर्न्तगत कुल 2.76 एकड़ जमीन विगत सर्वे के दौरान खतियान में मुकुल सिंह के नाम से दर्ज हुआ। मुकुल सिंह अपनी लड़की–पचिया देवी को छोड़कर एवं पचिया देवी अपनी एक लड़की–दहिया देवी को छोड़कर मरे। दहिया देवी अपना एक लडका–भिखन सिंह एवं तीन लडकियाँ–जसवा देवी, सोहगी देवी तथा चुनवा देवी को छोड़कर मरी। इनके बीच बंटवारे के उपरान्त ये अपने–अपने हिस्से की जमींन पर दखलकार हुए। चुनवा देवी के पति–निरपत राय ने प्लॉट नं0 72 के अर्न्तगत अपने हिस्से की $55\frac{1}{5}$ डी0 जमीन बजरिए निबंधित केवाला के दिनांक 08.03.1990 को एतवारी सिंह के	

साथ हस्तांतरित किया। इसके अतिरिक्त एतवारी सिंह को $55\frac{1}{5}$ डी0 जमीन अ= हिस्से थी। इस प्रकार ये कुल $111\frac{2}{5}$ डी0 जमीन पर दखलकार हुए। एतवारी सिंह = प्लॉट नं0 72 के अर्न्तगत 70 डी0 बजरिए निबंधित केवाला के दिनांक 22.03.2001 को द्वितीय पक्ष संख्या 01 एवं 02 के पिता–मैनेजर मल्लिक के साथ बिक्री किया। बाद में एतवारी सिंह ने 25 डी0 जमीन बजरिए निबंधित केवाला के दिनांक 22.03.2001 को सलामत मल्लिक के साथ बिक्री किया। मैनेजर मल्लिक अपने दो लड़के–अहमद मल्लिक एवं सोएब मल्लिक (द्वितीय पक्ष संख्या 01 एवं 02) को छोड़कर मेरे, जो उपरोक्त भूमि पर दखलकार चले आ रहें है एवं उक्त भूमि पर 05 कमरा का निर्माण कर रहें है, साथ ही एक एसबेसटस कमरा उक्त भूमि पर अवस्थित है। प्रथम पक्ष का केवाला फर्जी है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सूना एवं अभिलेख के साथ संचित उभय पक्ष का कारण–पृच्छा/कागजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष के सदस्य उपरोक्त जमीन को निबंधित केवाला के आधार पर दावा करते है एवं प्रथम पक्ष द्वारा शुद्धि–पत्र तथा सरकारी लगान रसीद की छायाप्रतियाँ भी दाखिल किया गया है, जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा एक भी सरकारी लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है। उभय पक्ष का उपरोक्त भूमि पर दावा/प्रतिदावा को लेकर प्रतीत होता है कि यह एक वास्तविक भूमि विवाद है एवं इनके बीच तनाव तथा शान्ति–भंग होने की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि पर दखल की वास्तविक स्थिति तक पहुँचने के लिए तथा इस पर दखल को लेकर इनके बीच शांति–भंग होने की आशंका को देखते हुए उपरोक्त भूमि पर स्थित रिहायशी मकान को छोड़कर शेष भूमि के सन्दर्भ में इस वाद को धारा–145 दं0प्र0सं0 में परिवर्तित किया जाता है। उभय पक्ष को लिखित–अभिकथन तथा अग्रेतर साक्ष्यों की कार्रवाई हेतु नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 26/12/22 को प्रस्तुत करें।

लेखापित।

21/10/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

21/10/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Digitally signed by Vishal Deep Khalkho
Date: 2022.11.07 13:18:28 +05:30
Location: 192.168.29.151